

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

दिनांक 26-7-18

क्रमांक / एफसीए / उवस / 17-18 / 11006

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय:- Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bholwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhattri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र सं. 8बी/राज./06/18/2018/एफसी/143 दि. 31.5.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bholwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhattri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016 अन्तर्गत 2.76 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण अन्तर्गत आक्षेपों का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

1. अ- के.एम.एल. फाईल की 4 प्रतियों में सी.डी. एवं हार्ड प्रति में संलग्न है।
ब- प्रत्यावर्तित वन भूमि का जीओ रेफरेन्स मैप सुस्पष्ट 4 प्रतियों में संलग्न है।
स- प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 है. के.एम.एल. फाईल एवं जी.पी.एस. रिडिंग मैच मैप पुनः संशोधित 4 प्रतियाँ संलग्न है।
द- प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 है. एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की टोपो शीट 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।
ई- प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि का जीओ ग्रिड सहित मैप 4 प्रतियों में संलग्न है।
2. पार्ट-प्रथम डी अनुसार एवं अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा के पत्र दिनांक 8.7.18 अनुसार परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 है. न्यूनतम वन भूमि चाही गयी है। न्यूनतम वन भूमि की अण्डरटैकिंग मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रेषित है।

3. अ- जिला कलक्टर भीलवाडा के पं. 2177 दि. 3.7.2018 द्वारा एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र में गाँवों के नाम सम्मिलित कर पुनः जारी प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में संलग्न है।
ब-प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.1 है. हेतु जिला कलक्टर भीलवाडा के पं. 2177 दि. 3.7.2018 द्वारा पुनः जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में संलग्न है।
स- संशोधित एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न है।
द- मूल एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. कोस सेक्शन एवं ऐरिया ब्रेकअप की संशोधित 4 प्रतियाँ संलग्न है।
5. अधिशाषी अभियंता,सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा के पत्र दिनांक 8.7. 18 द्वारा अनावश्यक रेवेन्यू मैप हटा दिये गये है।
6. अ-वर्किंग प्लान वनमण्डल भीलवाडा अनुसार ब्लॉक का घनत्व 0.1-0.4 अंकित है। ऑनलाईन संबंधित कॉलम में एक ही अंक की एन्ट्री होने के कारण 0.1 अंकित कर दिया गया था, अब ऑनलाईन पार्ट II में वनस्पति का घनत्व में 0.3 अंकित कर दिया गया है। क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति अधिकांशतः परिभ्रांषित पेड़ों के रूप में है
ब- 0-30 से.मी. ग्रथ में अंकित सूची ऑनलाईन संशोधित कर दी गयी है।
स-ऑनलाईन में अंकित प्रजातिवाईज सूचना अंकित कर दी गयी है, एवं हार्ड प्रति मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. Working Plan prescription Sr. No. 5 Part II में अंकित कर दिया गया है।
8. वैकल्पिक भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाईन संलग्न कर दिया गया है।
9. साईट निरीक्षण रिपोर्ट 4 प्रतियों में पुनः संलग्न है।
10. बिन्दु सं. 6 में उल्लेखित घनत्व वनखण्ड तिखी के वर्किंग प्लान में उल्लेखित घनत्व के अनुसरण में है तथा एन.पी.वी. की मांग भी तदानुसार ही किया जाना प्रस्तावित है।
11. पालना कर ली गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार 4 सेट प्रस्ताव

भवदीय
(एच.एस.हापीवत)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा